न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत
श्रमिकों हेतु
दिनांक 01.10.2012.
से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन
एवं परिवर्तनशील महँगाई भत्ते
की दरें

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2012 / 11623, रायपुर, दिनांक 26/9/12

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य मे प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं **डॉ. जितेन कुमार**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2012 से जून 2012 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :–

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जनवरी 2012	4520
फरवरी 2012	4542
मार्च 2012	4588
अप्रैल 2012	4679
मई 2012	4702
जून 2012	4748
कुल	$\frac{27779}{6}$ = 4629.83 = 4630

इनका औसत 4630 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16 / 2010 / 16, दिनांक 22.07.2010 (राजपत्र दिनांक 30.07.2010) द्वारा परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों को परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 जुलाई 2010 भाग–एक पृष्ठ क्रमांक 973 में श्रम विभाग, की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2010 जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)–7–82–श्रम–16 ए, दिनांक 05.02.1997 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 22.07.2010 जो राजपत्र में 30 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई है के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है।

उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 में अप्रैल 2010 के पूर्व मंहगाई भत्ता को मूल वेतन में समाहित किया जाकर नवीन न्यूनतम वेतन की गणना की गई है। (अनुसूची अ,स)

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य मे प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. जितेन कुमार, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची–"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 तक देय है।

परिशिष्ट–''ब''

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर माह में सभी अवकाश के दिनांक का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

2. कर्मचारी के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए हैं, उदाहरण स्वरूप है न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाली कर्मचारी को देय है।

3. कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की व्याख्या

(क) कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।

(ख) अर्द्धकुशल कर्मचारी वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाएं, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है।

(ग) अकुशल कर्मचारी वह है जो ऐसे सीधे–साधे कार्य करता है, उसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं एवं भाव से परिचित होना चाहिये।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।

5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होगें।

6. न्यूनतम वेतन दरों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

7. जहाँ कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो और इस अधिसूचना में उसके लिये खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे जो आठ घंटे दैनिक छः दिन कार्य करते हैं एवं एक दिन संवैतनिक अवकाश देने पर समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अधिसूचित नियोजनों की सूची

क्र0	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षागार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नही है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरिज जिसमें रिफेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूनेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य रिसेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गो के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यो में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्यो के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन
23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय सवंर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प / डीजल पम्प / गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेंट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुर्रा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फशनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन

34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/वुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	फ्यूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 ''क'' परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नही आती हैं, में नियोजन

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 जुलाई 2010 भाग–एक पृष्ठ क्रमांक 973 में श्रम विभाग, की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2010 जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)–7–82–श्रम–16 ए, दिनांक 05.02.1997 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 22.07.2010 जो राजपत्र में 30 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई है के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है।

उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 02.03.2012 द्वारा पावर प्लांट, स्टील प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट, रोलिंग मिल, कास्टिंग उद्योग एवं सीमेंट फैक्ट्री हेतु विशेष न्यूनतम वेतन की घोषणा की गई। (अनुसूची अ.स)

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं **डॉ. जितेन कुमार**, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची–''क'' के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 तक देय है।

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 जुलाई 2010 भाग–एक पृष्ठ क्रमांक 973 में श्रम विभाग, की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2010 जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)–7–82–श्रम–16 ए, दिनांक 05.02.1997 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 22.07.2010 जो राजपत्र में 30 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई है के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है।

उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 02.03.2012 द्वारा सुरक्षा गार्ड नियोजन के विशेष न्यूनतम वेतन की घोषणा की गई। (अनुसूची अ, स, य, र)

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. जितेन कुमार, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची–''क'' के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 तक देय है।

अनुसूची–''अ''

45 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता सम्मिलित है । (आँकड़े रूपयों में)

दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनाँक 01.04.2012 से 30.09.2012							दिनाँक 01.10.2012 से 31.03.2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3432.00	132.00	1066.00	41.00	4498.00	173.00	अकुशल	3432.00	132.00	1214.00	46.69	4646.00	178.69 179
3614.00	139.00	1066.00	41.00	4680.00	180.00	अर्द्धकुशल	3614.00	139.00	1214.00	46.69	4828.00	185.69 186
3874.00	149.00	1066.00	41.00	4940.00	190.00	कुशल	3874.00	149.00	1214.00	46.69	5088.00	195.69 196

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत् 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट–''अ'' तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट–''ब'' में देखें ।

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एव सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची ''य''

पावर प्लांट, स्टील प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट, रोलिंग मिल, कास्टिंग उद्योग एवं सीमेंट फैक्ट्री में नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता सम्मिलित है । (आँकड़े रुपयों में)

दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनाँक 01.04.2012 से 30.09.2012							दिनाँक 01.10.2012 से 31.03.2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3822.00	147.00	715.00	27.50	4537.00	174.50 175	अकुशल	3822.00	147.00	863.00	33.19	4685.00	180.19—180
4030.00	155.00	715.00	27.50	4738.00	182.50 183	अर्द्धकुशल	4030.00	155.00	863.00	33.19	4893.00	188.19—188
4316.00	166.00	715 00	27.50	5031.00	193.50 194	कुशल	4316.00	166.00	863.00	33.19	5179.00	199.19—199
4758.00	183.00	715 00	27.50	5473.00	210.50 211	अति कुशल	4758.00	183.00	863.00	33 19	5621.00	216.19—216

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची "र"

सुरक्षा गार्ड नियोजन

सुरक्षा गार्ड के नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता सम्मिलित है । (आँकड़े रूपयों में)

दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनाँक 01.04.2012 से 30.09.2012							दिनाँक 01.10.2012 से 31.03.2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4056.00	156.00	715.00	27.50	4771.00	183.50 184	अकुशल	4056.00	156.00	863.00	33.19	4919.00	189.19—189
4316.00	166.00	715.00	27.50	5031.00	193.50 194	अर्द्धकुशल	4316.00	166.00	863.00	33.19	5179.00	199.19—199
4576.00	176.00	715.00	27.50	5291.00	203.50 204	कुशल	4576.00	176.00	863.00	33.19	5439.00	209 19—209
4836.00	186.00	715.00	27.50	5591.00	213.50 214	अति कुशल	4836.00	186.00	863.00	33.19	5699 00	219.19—219

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची–''स''

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है । (आँकड़े रूपयों में)

दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 में

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनाँक 01.04.2012 से 30.09.2012							दिनाँक 01.10.2012 से 31.03.2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4134.00	159.00	1066 00	41.00	5200.00	200.00	लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक,	4134.00	159.00	1214.00	46.69	5348.00	205.69 206
4004.00	154.00	1066 00	41.00	5070.00	195.00	श्रेणी दो, कुशल श्रेणी	4004.00	154.00	1214.00	46.69	5218.00	200.69 201
4004.00	154.00	1066 00	41.00	5070.00	195.00	श्रेणी एक	4004.00	154.00	1214.00	46.69	5218.00	200.69 201
3874.00	149 00	1066 00	41.00	4940.00	190.00	श्रेणी दो	3874.00	149.00	1214.00	46.69	5088.00	195.69 196
3614.00	139.00	1066.00	41.00	4680.00	180.00	श्रेणी तीन, अर्द्धकुशल श्रमिक	3614.00	139.00	1214.00	46.69	4828.00	185.69 186
3874.00	149.00	1066.00	41.00	4940.00	190 00	श्रेणी एक	3874.00	149.00	1214.00	46.69	5088.00	195.69 196
3614 00	139.00	1066.00	41.00	4680.00	180.00	श्रेणी दो	3614.00	139.00	1214 00	46.69	4828.00	185.69 186
3432.00	132.00	1066.00	41.00	4498.00	173 00	अकुशल श्रमिक	3432.00	132.00	1214.00	46 69	4646.00	178.69 179

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

छत्तीसगढ, रायपुर

अनुसूची–"क"

छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है । (आँकड़े रूपयों में)
दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन(पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनाँक 01.04.2012 से 30.09.2012							दिनाँक 01.10.2012 से 31.03.2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3432.00	114.40	1066.00	35.53	4498.00	149.93 150	अकुशल	3432.00	114.40	1214 00	40.46	4646.00	154.86 155
3614.00	120.47	1066 00	35.53	4680.00	156.00 156	अर्द्धकुशल	3614 00	120.47	1214.00	40.46	4828.00	160.93 161
3874 00	129.00	1066 00	35 53	4940.00	164.66 165	कुशल	3874.00	129.00	1214.00	40.46	5088.00	169.60 170

26/9/2012
(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2011 / 11623, रायपुर, दिनांक 26.9.12

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. **जितेन कुमार**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2012 से जून 2012 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :–

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जनवरी 2012	3640.00
फरवरी 2012	3658.00
मार्च 2012	3681.00
अप्रैल 2012	3728.00
मई 2012	3758.00
जून 2012	3805.00
कुल	22270 = 3711.66
	6 = 3712

इनका औसत 3712 घोषित करता हूँ, पूर्व में कृषि नियोजन का औसत 3620 को वर्तमान औसत 3712 से घटाने पर कृषि नियोजक के लिए 01.10.2012 से 31.03.2013 तक के लिये महगाई भत्ते में रूपये 92.00 की वृद्धि घोषित करता हूँ। जो कि परिशिष्टित – द कृषि नियोजनों के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–3–88–16 ए, दिनांक 12.09.1989 (राजपत्र दिनांक 14.09.1989) द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची–''द''

कृषि में नियोजन
मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है । (आँकड़े रूपयों में)
दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनाँक 01.04.2012 से 30.09.2012							दिनाँक 01.10.2012 से 31.03.2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
603.90	20.13	2954.00	98.63	3562.90	118.76 119	अकुशल कृषि श्रमिक	603.90	20.13	3046.00	101.53	3649.90	121.66 122

26/9/2012
(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एव सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये

01.10.2012 से 31.03.2013

की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के

संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 4 (सी) 3–88–16–ए, दिनांक 12.09.1989 (राजपत्र दिनांक 14.09.1989) के अन्तर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2012 / 11623, दिनांक 26/9/12 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी 2012 से जून 2012 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 3712 रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 661 (1960=100), जनवरी से जून 1988 के आधार पर ऑकड़ों के ऊपर जनवरी 2012 से जून 2012 तक की अवधि में 92 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है तथा कुल औसत बढ़कर 3046 बिन्दुओं का रहा है, जिसके कारण कृषि श्रमिकों को परिवर्तनशील महँगाई भत्ता प्रतिमाह 3046.00 रूपये या 101.53=102.00 रूपये प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 तक देय है। (अनुसूची – ''द'')

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2011 / 11623, रायपुर, दिनांक 26.9.12

अधिसूचना
अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं आर.सी.सिन्हा, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जनवरी 2012 से जून 2012 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ :–

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जनवरी 2012	916.74
फरवरी 2012	921.37
मार्च 2012	930.63
अप्रैल 2012	949.15
मई 2012	953.78
जून 2012	963.04
कुल	5634.71 / 6 = 939.11 = 939

अतः विगत छः माहों का औसत 939 घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–1–97–16 ए, दिनांक 12.01.1999 (राजपत्र दिनांक 15.01.1999) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–1–97–16 ए, दिनांक 18.03.1999 (राजपत्र दिनांक 02.04.1999 में प्रकाशित) के द्वारा निर्देशित उक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 तक देय है।

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ, रायपुर

छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2010 / 11623, दिनांक 26/9/12 के अनुसार जनवरी 2012 से जून 2012 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 939 रहा है। इसलिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जनवरी 2012 से जून 2012 तक की अवधि 587 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। (939–352=587 पाईंट) जिसके परिणाम स्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 7.34 रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 तक देय है।

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (सी) 3–97–16–ए, दिनांक 12. 01.1999 (राजपत्र दिनांक 15.01.1999 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (सी) 3–97–16–ए, दिनांक 18.03.1999 (राजपत्र दिनांक 02.04.1999 में प्रकाशित) के अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 तक देय है।

अनुसूची – ''एफ''
अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरें –

क्र0	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रू0 6.31 पैसे 6.96 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार	13.65 पैसे
	साधारण सुगंधित (सेंटेड)	रू0 6.78 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	14.12 पैसे
आ.	निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।			
	बिना सिलोफेन या जिलेटिन के			
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 5.37 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500	11.24
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	11.71
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	11.71
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 7.60 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	14.94
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 10.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	20.00
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 11.05 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	22.79
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकडा	रू0 11.92 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	23.66
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकडा	रू0 14.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	28.95
	सिलोफेन या जिलेटिन के			
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रू0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	11.71
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकडा	रू0 7.25 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	14.59
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकडा	रू0 8.62 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	18.42
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकडा	रू0 9.12 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300	18.92

		(1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकडा रू0 10.52 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	20.32
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू0 11.92 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	23.66
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकडा रू0 13.33 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	28.01
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकडा रू0 15.21 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	29.89
(ई)	निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना।		
	बिना सिलोफेन या जिलेटिन के		
1.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू0 4.45 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु)	9.32
2.	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू0 4.90 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु)	9.77
3.	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू0 5.82 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	11.69
4.	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू0 6.31 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	12.18
5.	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू0 7.25 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	14.59
6.	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू0 8.41 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	15.75
(ईई)	**सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :–**		
1.	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू0 0.94 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 2500 (0.0020 पैसा प्रति बिन्दु)	2.11
2.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू0 1.15 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 2200 (0.0022 पैसा प्रति बिन्दु)	2.44
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति 1000 रू0 1.80 पैसे	5 पैसा प्रति बिन्दु 1500 (0.0033 पैसा प्रति बिन्दु)	3.74

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर)

न्यूनतम मजदूरी

क्र0	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मँहगाई भत्ता		कुल वेतन	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन(पूर्णांक)
1.	एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर	1699.75	65.37	2920.00	112.30	4619.75	177.67 178
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क,	1590.50	61.17	2920.00	112.30	4510.50	173.47 173
3.	मिस्त्री, ड्राईवर	1699 75	65.37	2920.00	112.30	4619.75	177.67 178
4.	पेटी बनाने वाले, पेटी भरने वाला	1590.50	61.17	2920.00	112.30	4510.50	173.47 173
5.	मसाला तोलने वाला, पुड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला	1482.40	57.01	2920.00	112.30	4402.40	169.31 169

नोट :— अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही0डी0ए0) जुलाई 2011 से दिसम्बर 2011 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिले इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 352 (1982=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिये रूपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसम्बर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रेल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यनूतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नही की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2012 / 11623 रायपुर, दिनांक 26-9-12

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. जितेन कुमार, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जुलाई 2011 से जून 2012 तक के माहों के लिये सूचकांकों का निम्नानुसार घोषित करता हूँ :–

माह / वर्ष		अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जुलाई	2011	4505
अगस्त	2011	4428
सितम्बर	2011	4497
अक्टूबर	2011	4520
नवम्बर	2011	4542
दिसम्बर	2011	4497
जनवरी	2012	4520
फरवरी	2012	4542
मार्च	2012	4588
अप्रैल	2012	4679
मई	2012	4702
जून	2012	4748
योग –		$\frac{54768}{12} = 4564$

तथा उक्त के अनुसार औसत 4564 घोषित करता हुँ, जो कि किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में आयोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–94–16 ए, दिनांक 05.06.1997 (राजपत्र दिनांक 07.06.1997) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमाक एफ 28–116–99–16 ए, दिनांक 04 सितम्बर, 2000 (राजपत्र 04 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01.10.2012 से 30.09.2013 तक देय है।

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2010 / 11६२३, दिनांक २६।९।१२ के अनुसार जुलाई 2011 से जून 2012 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 4191 रहा है। इसलिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार ऑंकड़ों के ऊपर जनवरी 2012 से जून 2012 तक की अवधि में 3358 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। (4564–1206=3358 पाईंट) जिसके परिणाम स्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 3358 पैसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2012 से 31.03.2013 तक देय है। (अनुसूची ''ई'')

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–94–16 ए, दिनांक 05.06.1997 (राजपत्र दिनांक 07.06.1997) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 28–116–99–16 ए, दिनांक 04 सितम्बर, 2000 (राजपत्र 04 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित) के अन्तर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक 01.10.2012 से 30.09.2013 तक देय है।

अनुसूची– "ई"

किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

क0	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की दरें	परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रू0 22.50	रू0 33.58	रू0 56.08 पैसे किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 314.04 से कम हो तो इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रू0 314.04 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2.	रिलाई श्रमिक			
अ.	बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1.	लेबर चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रू0 15.00 प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रू0 31.79 पैसे
2.	यदि कट्टे पर दोनो ओर लेबल लगाया जाता है	रू0 17.35 पैसे प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रू0 34.14 पैसे
ब.	झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रू0 11.20 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रू0 27.99 पैसे
2.	झिल्ली लगाना	रू0 7.77 प्रति 1000 कट्टों पर	1.5 पैसे प्रति बिंदु 1000 कट्टों पर	रू0 20.37 पैसे
3.	लेबल लगाना	रू0 3.60 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिंदु 1000 कट्टों पर	रू0 7.80 पैसे
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रू0 3.85 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिंदु प्रति आठ हजार	रू0 8.50 पैसे
स.	एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रू0 49.75 पैसे प्रति एक लाख बीडी पर	2 पैसे प्रति बिंदु एक लाख बीड़ी पर	रू0 116.91 पैसे
2.	झिल्ली आड़ी तथा पट्टी लगाने का कार्य हो	रू0 62.45 प्रति 1 लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर	रू0 129.61 पैसे
3	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य	रू0 62.45 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर	रू0 129.61 पैसे

नोट :–

बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाल कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाँटने तथा जांच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर, (भारी वाहन) हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत् समय–समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपरोक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. कुशल : ड्राईवर, (चालक) (भारी वाहन) एकाउन्टेंट मुनीम कैशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर।
2. अर्धकुशल : बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर, (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, विलमेन, क्लर्क।
3. अकुशल : ट्रक से माल चढ़ाने या उतारने वाले या बीड़ियों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2012 से 30.09.2013 तक निम्नानुसार देय है।

क0	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	कुल वेतन प्रतिमाह	कुल वेतन प्रतिदिन
1.	कुशल	1065.44	3358	4423.44	170.13
2.	अर्धकुशल	898.30	3358	4256.30	163.70
3.	अकुशल	732.80	3358	4090.80	157.33

EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rollers (For Rolling of 1000 Beedies)
Effective from 01.10.2012 To 30.09.2013
V.D.A. Revisable Annualy with Effect from 01.10.2011

No.	Perticular	Rs./P.
1.	Basic Wages	22.50
2.	Variable Dearness Allowance	33.58
3.	Leave with Salary (@5% of Total Wages)	2.80
4.	Total Wages	58.88
5.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	4.90
6.	P.F. Contribution of Employer (@ 10% of Total Wages)	5.89
7.	Total Wages + Bonus + P.F. Contribution Less Contribution of Employer	5.89
8.	Total Wages + Bonus	63.78
9.	Less P.F. Contrubution of Employee (@ 10% of Total Wages)	5.89
10	Net Payable to Beedi Roller	57.89

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
2. परिवर्तनशील महंगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन मं लेबर ब्यूरो, षिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 1206 (1960=100) पर आधारित है। 1206 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि जावेगी और स्तंभ 3 में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनषील महंगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से दये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत् समक्षत प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय—समय पर प्रकाषित की जावेगी।
3. निर्धारित मासिक वेतन कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
4. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिए लगने वाला कच्चा माल तंबाकू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त म्।ा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विषेष महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिए गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जा वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
6. यदि कर्मचारी अपनी ईच्छा से किसी भी कारणवश् किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
7. जो कर्मचारी दिए गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियो सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नही दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नही होगा।

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन,
श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

—: अधिसूचना :—

रायपुर दिनांक 29 / 11 / 2010

क्रमांक एफ 10 – 34 / 2010 / 16: राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रदेश मे गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम की भाग–क में उल्लेखित अधिसूचित नियोजनो के दर प्रदेश मे तीन स्तर में प्रभावशीलन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को निम्नानुसार 3 श्रेणी में वर्गीकरण किये जाने के संबंध मे श्रम विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 10–22 / 2010 / 16,दिनांक 18 / 08 / 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में छत्तीगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, कि धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए राज्य शासन इस संबंध मे संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अधिनिमय की धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सलाकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् न्यूनतम वेतन अधिनियम के 45 अधिसूचित नियोजनो मे न्यूनतम मजदूरी प्रभावशीलन हेतु प्रदेश के निम्ननुसार तीन भागो मे विभाजित करते हुए वर्गवार क्षेत्रो मे न्यूनतम वेतन से अधिक विशेष वेतन निम्नानुसार प्रभावशील होगा :—

वर्गीकरण सूची

क0	शहर / क्षेत्र की श्रेणी	स्थान का नाम	वर्गीकरण के कारण
1	02	03	04
1	(अ)	रायपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा के 16 किलोमीटर क्षेत्र तक। रायपुर, नगर पालिका बीरगांव ,उरला, सिलतरा, औद्योगिक क्षेत्र।	प्रचलित न्यूनतम वेतन से प्रतिदिन 20 / –रू. अधिक विशेष वेतन।
2	(ब)	भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ अंबिकापुर, चिरमिरी और जगदलपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा से 08 किलामीटर तक का क्षेत्र । धमतरी भिलाई–चरोदा नगर पालिका एवं नगर पालिका सीमा से 05 किलामीटर तक का क्षेत्र।	प्रचलित न्यूनतम वेतन से प्रतिदिन 10 / –रू. अधिक विशेष वेतन।

3	(स)	वर्ग ''अ'' एवं ''ब'' छोड़कर शेष प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र।	प्रचलित न्यूनतम वेतन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.डी.कुंजाम)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 10–34 / 2010 / 16, रायपुर, दिनांक 29 / 11 / 2010

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सहायक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
4. कमिश्नर, संभाग ....।
5. कलेक्टर, जिला ....।
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर।
7. सहायक श्रमायुक्त कार्यालय ....।
8. आयुक्त, नगर निगम ....।
9. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2012 रायपुर, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. राहत आयुक्त, सचिवालय, रायपुर।
3. संचालक, जनसम्पर्क विभाग, रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
4. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर प्रसार हेतु अग्रेषित।
5. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र0 / 303 / आर / 577 / 97 / नि–514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, रायपुर।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, रायपुर।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर ।
11. सचिव, छत्तीसगढ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, रायपुर।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, रायपुर।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, रायपुर (राहत शाखा)
14. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत विभाग, रायपुर।
15. सचिव, छत्तीसगढ शासन, ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पुनर्वास विभाग, रायपुर।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, रायपुर।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय शासन विभाग, रायपुर।
19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय कल्याण विभाग, रायपुर।
20. सचिव, छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर।
21. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, छत्तीसगढ प्रकोष्ठ, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

22. आयुक्त, संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा।

23. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़

24. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

25. संचालक, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

26. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।

27. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर।

28. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, रायपुर।

29. प्रमुख वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

30. उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर।

31. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर।

32. सहायक श्रमायुक्त, कोरबा, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर।

33. श्रम पदाधिकारी, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, महासमुंद।

34. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, रायपुर।

35. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर।

36. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़।

37. श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

38. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर।

39. माननीय अध्यक्ष, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।

40. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर।

41. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर।

42 इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर।

43. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास आयुक्त कार्यालय, सिविल लाईन, रायपुर।

44. परि प्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।

45. नियंत्रक कार्यालय, छ0ग0 व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर।

46. संचालक, ग्रामोद्योग हथकरघा एवं रेशम न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर।

47. संचालक, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान रायपुर।

48. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर।

49. आयुक्त, उद्योग संचालनालय रायपुर।

50. आयुक्त, उद्योग संचालनालय रायपुर।

51. संचालक, जनसम्पर्क विभाग रायपुर।

52. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र रविशंकर विश्व विद्यालय रायपुर।

53. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा रायपुर।

54. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मंत्रालय के पास।

55. पुलिस महानिदेशक न्यू शांतिनगर रायपुर।

56. आयुक्त, परिवहन विभाग पंडरी रायपुर।

57. महानिदेशक एवं अध्यक्ष पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन रायपुर।

58. प्रधान मुख्य वन संरक्षक देवेन्द्र नगर रायपुर।

59. पुलिस महानिरीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर।

60. संचालक संस्कृति एवं पुरात्व संचालनालय बैरनबाजार रायपुर।

61. संचालक पशुचिकित्सक सेवाएं रायपुर।

62. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण रविशंकर विश्व विद्यालय रायपुर।

63. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।

64. प्रबंध संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रायपुर।

65. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर।

66. प्रबंध संचालक, छ0ग0 पर्यटन मंडल रायपुर।

67. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) रायपुर।

68. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर।

69. आयुक्त–सह संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण, संचालनालय 37–आनंद नगर रायपुर।

70. आयुक्त, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय परिसर, रायपुर।

71. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, सिविल लाईन, रायपुर।

72. सचिव, छ0ग0 शासन, पर्यटन विभाग मंत्रालय रायपुर।

73. सचिव, छ0ग0 शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय रायपुर।

74. आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा, मंत्रालय रायपुर।

75. सचिव, छ0ग0 शासन मुख्यमंत्री सचिवालय, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्यागिकी विभाग मंत्रालय रायपुर।

76. महानिदेशक विभागाध्यक्ष, छ0ग0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् रायपुर।

77. अधीक्षण अभियंता, कार्यालय मुख विद्युत निरीक्षण छ0ग0 शासन रायपुर।

78. संचालक, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तेलीबांधा रायपुर।

79. संचालक, संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें (श्रम विभाग) छ0ग0 रायपुर।

80. उप नियंत्रक, कार्यालय नियंत्रक नाप–तौल, रायपुर।

81. संचालक छ0ग0 शासन, ग्रामोद्योग रायपुर।

82. संचालक, कार्यालय संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय छ0ग0 रायपुर।

83. संचालक कार्यालय संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रायपुर।

84. सदस्य सचिव छ0ग0, पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर।

85. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन पंडरी रायपुर।

86. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण रायपुर।

87. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षण ऊर्जा विकास अभिकरण रायपुर।

88. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर।

89. आयुक्त, छ0ग0 राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, मुख्यालय रायपुर।

90. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।

91. प्रबंध संचालक छ0ग0 राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर।

92. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ0ग0 राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर।

93. केन्द्र अभियंता दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र रायपुर। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महँगाई भत्ते सहित प्रभावशील महँगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकास खण्ड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

26/9/2012

(डॉ. जितेन कुमार)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर